# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

## अपील डिकी/टीए/6527/2001/बाड़मेर

1— सोनजी पुत्र पूनमजी निवासी सिलोर।

2— आसू पुत्र नाथू जाति पुरोहित मृतक जरिए वारिसानः—

2/1— सोनजी गोदपुत्र आसू

2/2— भंवर पुत्र गणेश

2/3— मोहन पुत्र गणेश

2/4— नारायण पुत्र गणेश

2/5— बाबू पुत्र गणेश

2/6— तुलछी बेवा गणेश

समस्त जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

3— नैनी पुत्री गणेश पत्नी खेतान पुत्र पोलसिंह जाति पुरोहित निवासी बावडीकलां तहसील फलोदी।

4— कमला पुत्री गणेश पत्नी राजू पुत्र मगन जाति पुरोहित निवासी बाड़ाखुर्द तहसील भोपालगढ़।

5— लीला पुत्री गणेश पत्नी गुर्ग सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी बावडीकलां तहसील फलोदी।

6— पुष्पा पुत्री गणेश पत्नी गुर्गसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

7— जसराज पुत्र मोहन जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

8— मगराज पुत्र मोडजी मृतक जरिए वारिसानः—

8/1— मोहनी बेवा मगराज

8/2—रामो पुत्र मगराज

8/3— मडी पुत्र मगराज

8/4— अशोक पुत्र मगराज

8/2 लगायत 8/4 नाबालिग जरिए संरक्षक वली माता मोहनी

समस्त जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

9— चम्पा वल्द मोडजी

10— खुसिया पत्नी खेता

10/1— जोगा पुत्र खेता

10/2— शारदा पुत्री खेता

10/3— ममता पुत्री खेता

10/4— कविता पुत्री खेता

10/1 लगायत 10/4 नाबालिग जरिए संरक्षक वली माता खुसिया।

11— मु. बाली बेवा सोनजी

11/1—चुनी पुत्री सोनजी पत्नी बादर पुत्र बक्शा जाति पुरोहित निवासी ग्राम विसनासर तहसील नोखा।

11/2—पातू बेवा नामालूम पुत्री सोनजी जाति पुरोहित निवासी नारवा तहसील पाली।

12— पुखराज गोदपुत्र खोमजी

13— गोपाल पुत्र अगरीमजी

14— जसराज पुत्र मोती

15— राजू पुत्र आईदान

16— गोमजी पुत्र आईदान

17— मिसरा पुत्र आईदान

18— जयरूप पुत्र पाडजी

19— शिव पुत्र पाडजी

20— भीम पुत्र पाडजी

21— हरीराम पुत्र पाडजी

22— भंवर पुत्र प्रभू

23— मांगीलाल पुत्र प्रभू

24— कानजी पुत्र गणेश

25— दानजी पुत्र गणेश

26— मु. भीकी बेवा गणेश जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

27— कानजी पुत्र देवजी

28— सवाई सिंह पुत्र देवजी जाति पुरोहित निवासी सिलोर नाबालिग जरिए संरक्षक भाई कान सिंह

29— भैरजी पुत्र लच्छा

30— शिव पुत्र सोनजी

30/1— स्वरूप सिंह पुत्र शिव

30/2—पोलसिंह पुत्र शिव

32— मोहनी पुत्री भोलजी जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

33— वत्ता पुत्र रावता

34— वस्ता पुत्र गणेश

35— अमरती बेवा राजू

35/1— हीरसिंह पुत्र जसराज

35/2— मदनसिंह पुत्र जसराज

35/3— सनतूड़ी पुत्री राजू नाबालिग जरिए संरक्षक जसराज जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

35/4— जयानी पुत्री राजू पत्नी मोहन पुत्र अचलजी जाति पुरोहित हाल निवासी बावड़ीकलां तहसील फलोदी।

35/5— हीरो पुत्री राजू पत्नी पदम पुत्र कानजी जाति पुरोहित निवासी बावड़ीकलां तहसील फलोदी।

35/6— लीला पुत्री राजू पत्नी जंवरसिंह पुत्र नाथराज जाति पुरोहित निवासी भादडाऊ तहसील भीनमाल।

36— ऊकी पुत्री लादू पत्नी अदरसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति पुरोहित निवासी सवास तहसील पाली।

37— अचला पुत्र जोरा

38— सुजा पुत्र जोरा

39— किशोर पुत्र जोरा

40— बाबूसिंह पुत्र गणेश

41— चंदेरसिंह पुत्र गणेश

42— हनुमान पुत्र शिवनाथ मृतक जरिए वारिसानः—

42/1—सरेकंवर पुत्री हनुमान पत्नी बीजराज सिंह पुत्र गोविन्द जाति पुरोहित निवासी ग्राम बावड़ीकलां तहसील फलोदी।

42/2— जगनकंवर पुत्री हनुमान पत्नी बाबूसिंह पुत्र फौजसिंह जाति पुरोहित निवासी बावड़ीकलां तहसील फलोदी।

42/3— पुष्पा पुत्री हनुमान पत्नी अनोप पुत्र जुहार

42/4— सुखा पुत्री हनुमान पत्नी बोरजी पुत्र मोहन जाति पुरोहित निवासी बाडा तहसील पीपाड जिला जोधपुर।

43— जसराम पुत्र शिव

44— काना पुत्र शिव

45— भीमा पुत्र शिव

46— शांति पत्नी गोपाल पुत्र किशन पुत्र वगता जाति पुरोहित निवासी थोब तहसील ओसिया।

47— गोमा पुत्र मूलजी

48— अचला पुत्र मूलजी

49— किशोर सिंह पुत्र ठाकरजी

50— भंवरी बेवा अचला जाति पुरोहित निवासी नारवा तहसील जोधपुर।

51— दरियाव बेवा साजी जाति पुरोहित निवासी बाडा तहसील बिलाडा जोधपुर।

52— गीता बेवा रामजी जाति पुरोहित निवासी सांकडिया तहसील शेरगढ़।

**—अपीलांटस**

**बनाम**

1— मानाराम पुत्र कुमाराम मृतक जरिए वारिसानः—

1/1— बीरबलराम पुत्र मानाराम

1/2— गोरखराम पुत्र मानाराम

1/3— छोगाराम पुत्र मानाराम

1/4— बाबूराम पुत्र मानाराम

1/5— रामाराम पुत्र मानाराम

1/6— भीली पुत्री मानाराम

1/7— गोगली पुत्री मानाराम

1/8— प्रमकी पुत्री मानाराम

समस्त जाति विश्नोई निवासी सिलोर जिला बाड़मेर।

2— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार।

**—रेस्पोडेन्ट्स**

3— वली बेवा पारसराम जाति पुरोहित निवासी भौरी तहसील फलोदी।

4— सूरजमल पुत्र जावत सिंह मृतक जरिए वारिसानः—

4/1— पृथ्वीसिंह पुत्र सूरजमल

4/2— श्रीकृष्ण पुत्र सूरजमल

4/3— सायर पुत्री सूरजमल

4/4— शांति पुत्री सूरजमल

4/5— गीता पुत्री सूरजमल

5— खाखा बेवा नामालूम जाति पुरोहित निवासी थोब तहसील ओसिया।

6— खामा बेवा आसूजी

7— मोरजी पुत्र लच्छा मृतक जरिए वारिसानः—

7/1— कानसिंह पुत्र शिव

7/2— इन्द्रसिंह पुत्र शिव

7/3— रामी बेवा शिव

समस्त जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

8— भोलजी पुत्र रावता मृतक जरिए वारिसानः—

8/1— राना पुत्र भोलजी

8/2— भंवरा पुत्र भोलजी

8/3— सुखदेव पुत्र भोलजी

8/4— जेठाराम पुत्र भोलजी

समस्त जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

9— हेमजी पुत्र रावता मृतक जरिए वारिसानः—

9/1— जती बेवा हेमजी

9/2— पुखराज पुत्र हेमजी

9/3— बाबू पुत्र हेमजी

9/4— भगवाना पुत्र हेमजी

9/5— मंजू पुत्री हेमजी

समस्त जाति पुरोहित निवासी सिलोर।

10— जीवा पुत्र सालग

11— धनजी गोदपुत्र खेतजी मृतक जरिए वारिसान—

11/1— चुनी बेवा धनजी

11/2— देवा पुत्र धनजी

12— भंवरा पुत्र भोजा

13— मोहन पुत्र फारसराम

14— सायर बेवा लादू

15— जोगराम पुत्र लादू

जाति पुरोहित नाबालिग जरिए संरक्षक माता सायर।

16— मारा पुत्री लादू पत्नी गंगा सिंह पुत्र हेमसिंह जाति पुरोहित निवासी सुराजी तहसील जोधपुर।

17— सीता पुत्र अचला

18— लीला पुत्री अचला

19— गंगा पुत्री अचला

20— कांता पुत्री अचला

21— सारकी पुत्री अचला

22— हवा पुत्री अचला

23— चम्पा पुत्री अचला

24— मनोहर पुत्र अचला

25— बबरो बेवा अचला

26— हंजा बेवा हनुमान

27— वडेसिंह पुत्र हनुमान

28— सोरकी पुत्री हनुमान पत्नी पोल पुत्र भंवरसिंह

29— तीजा पुत्र अदरिंग

30— लीला पुत्री वगता नाबालिग जरिए संरक्षक माता तीजा

31— ककू बेवा जेपा पुरोहित निवासी सिलोर।

32— सगना बेवा प्रताप मृतक जरिए वारिसानः—

32/1— लालूराम पुत्र प्रताप

32/2— डूंगराराम पुत्र प्रताप

32/3— शांति पुत्री प्रताप

32/4— पपली पुत्री प्रताप

32/5— कुकली पुत्री प्रताप

32/6— रायडी पुत्री प्रताप

32/3 लगायत 32/6 नाबालिग जरिए संरक्षक वलिया माता सगना

33— बाबू पुत्र धनसा

34— भीको पुत्र धनसा

35— देवी बेवा अमरिग

36— अनोपा पुत्र अमरींग

37— नारायणी पुत्री अमरीग नाबालिग जरिए सरंक्षक वलिया माता देवी।

38— पानी पुत्री अमरीग नाबालिग जरिए सरंक्षक वलिया माता देवी।

39— सुरजाना पुत्र तामजी

40— वचना पुत्र तामजी नाबालिग जरिए सरंक्षक भाई सुरजाना निवासी सिलोर।

41— भैरजी पुत्र रावता

**—तरतीबी रेस्पो0**

**खण्डपीठ**

**श्री रामदयाल मीणा, सदस्य**
**कमला अलारिया, सदस्य**

**उपस्थितः—**

**श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता अपीलांटस**

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अधिवक्ता रेस्पो0**

**निर्णय**

**दिनांकः— 09.09.2025**

अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर—जैसलमेर (मुख्यालय जोधपुर) द्वारा अपील संख्या 27/2001 बउनवानी सोमजी बनाम मानाराम व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सिलोर के आराजी खसरा संख्या 217 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 218 रकबा 77 बीघा 5 बिस्वा पर वादी/रेस्पो0 संवत् 2009 से आज तक बहैसियत खातेदार है। वक्त बंदोबस्त गलती से पर्चा प्रतिवादी जागीरदार के नाम बन गया। संवत् 2011 से आज दिन तक गिरदावरी में वादी/रेस्पो0 की काश्त दर्ज है। अतः वादी को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने

अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 30.09.2000 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर, मुख्यालय जोधपुर के समक्ष पेश की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2001 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा लिखित बयान पेश कर कथन किया गया था कि विवादित भूमि जागीर भूमि थी और वे विवादित भूमि के खुद काश्तकार थे तथा जागीर के पुनर्ग्रहण के बाद चूंकि वे विवादित भूमि के खातेदार बन गए और इसलिए बंदोबस्त पर्चा जागीरदार के नाम पर सही दर्ज किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया था इसलिए वादी को अपना वाद साबित करना चाहिए था कि वह जागीरदार का काश्तकार या उपकाश्तकार था ? किन्तु वे ऐसा करने में असमर्थ रहे तथा दोनों अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। दोनों अधी0न्याया0 ने इस तथ्य गौर नहीं किया कि प्रकरण के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 5, 8, 10, 12, 13, 16, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 49, 52, 56 एवं 62 की मृत्यु हो गई थी इसलिए वादी द्वारा कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन किया गया था, लेकिन ऐसे कई कायम मुकाम थे जो नाबालिग थे और उनके कानूनी अभिभावकों को दावें के लंबित रहने के दौरान पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा नाबालिगों के कानूनी अभिभावकों को पक्षकार बनाए बिना मुकदमें को नाबालिगों के खिलाफ एकतरफा में निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। वादीगण ने अपने वाद में तमाम पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांटस को किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है, वादीगण ने जो गवाह पेश किए है वह न तो विवादग्रस्त आराजी के पड़ौसी है

और ना ही आराजी से वास्ता रखते हैं। जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 में अपीलांटस विवादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज है। दोनों अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2001 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2000 को निरस्त किया जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत् है। बहस में आगे तर्क दिया कि जब गिरदावरी ग्राम सिलोर में संवत् 2011 से शुरू हुई जिसमें रेस्पो0 का नाम जमीन मुतनाजा पर काश्त करने पर दर्ज होता रहा जो कि आज दिन तक दर्ज होता आया है। रेस्पो0 दिनांक 15.10.55 को जब राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आया तब जमीन मुतनाजा का काश्तकार था जिससे राज0काश्त0अधि0 की धारा 15 के तहत रेस्पो0 को विवादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे । रेस्पो0 ने जमीन मुतनाजा पर बेरा खसरा संख्या 217 से संवत् 2014 तक अरहट से सिंचाई करके काश्त की तथा अरहट के लिए भी रेस्पो0 ने तहसील सिवाना से ऋण के रूप में 500/–रूपये लिए थे एवं संवत् 2015 में रेस्पो0 ने इसी कुंए पर अपने खर्चे से पम्प सेट लगवाया जो आज दिन तक लगा हुआ है। विवादग्रस्त आराजी अपीलांटस की कभी भी खुदकाश्त दर्ज नहीं रही है। नाबालिग प्रतिवादीगण की ओर से अधी0न्याया0 द्वारा लादूराम को अदालती वली नियुक्त किया गया था तथा नाबालिग प्रतिवादीगण के वली को शहादत व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए जाने के उपरांत विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत् रखा है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1/1 लगायत 1/8/वादीगण के पिता मानाराम ने वर्तमान अपीलांटस एवं शेष तरतीबी रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत न्यायालय सहायक जिलाधीश, बालोतरा, जिला बाड़मेर के समक्ष ग्राम सिलोर तहसील सिवाना की आराजी खसरा नंबर 271 रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा गै0मु0 बैरा, खसरा 218 रकबा 77 बीघा 5 बिस्वा बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात पर वादी संवत् 2009 से आज दिन तक बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है । प्रतिवादीगण गांव सिलौर के थूणावास के जागीरदार थे । जमीन मुतनाजा जागीरदार फरसारामजी, राजजी़, चमनजी, मोडजी़, खेतजी, शिवजी, धनरूपजी तथा भोजी के हिस्से की थी और वादी ने इन से संवत् 2009 में काश्त करने के लिये ली थी और तब से वादी आज तक बतौर काश्तकार काश्त करता आ रहा है । वादी ने हांसिल भी इन लोगों को दिया था जिसकी रसीदों की नकलें भी वाद के साथ पेश की है । जागीरदारी समाप्त होने के बाद से वादी ने राज्य सरकार में लगान अदा किया है । वादी ने बेरा खसरा संख्या 217 में संवत् 2014 तक अरहट से सिचांई करके काश्त की है । अरहट के लिए वादी ने तहसील सिवाना से ऋण लिया था । संवत् 2015 में वादी ने इस कुएं पर अपने खर्चे से पम्प सेट लगाया था तथा वादी ने अपने रहवास का मकान भी बेरे पर बना रखा है । संवत् 2011 की साल से जब पहली बार गिरदावरी ग्राम सिलोर में शुरू हुई वादी का नाम जमीन मुतनाजा पर काश्त करने में दर्ज होता रहा है जो आज तक दर्ज होता आया है । वादी दिनांक 15.10. 1955 को जब राजस्थान टेनेन्सी एक्ट प्रभाव में आया जमीन मुतनाजा का काश्तकार था जिससे धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत वादी को जमीन मुतनाजा में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है तथा वादी का कब्जा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एडवर्स पजेशन यानि मुखालफाना 12 साल के समय से भी ज्यादा हो गया है जिससे भी वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 से 18, 20 से 29, 31 से 39, 41, 44 से 54, 56 से 61 व 63 से 67, 74 से 77 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादोत्तर पेश कर कथन किया कि वादी गांव चणिया तहसील ओसिया का निवासी है, ना कि ग्राम

सिलोर का । गांव सिलोर में खसरा संख्या 217 तथा 218 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 76 के जागीर की भूमि थी और उक्त प्रतिवादीगण/उनके पूर्वज जागीरदार थे तथा जागीर की भूमि में उक्त सभी जागीरदारों का खुदकाश्त अधिकार था और भू–प्रबंध अभिलेखों में वादग्रस्त भूमि उकत प्रतिवादीगण संख्या 1 से 76 तथा उनके पूर्वजों के नाम खुदकाश्त प्रविष्टि थी । उक्त प्रतिवादीगण के जागीर अधिकार राजस्थन भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 21 के अंतर्गत पुनग्रहित हो गये जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 से 76 उक्त भूमि के खातेदार हो गये और वे ही बहैसियत खातेदार जागीर पुर्नग्रहण के दिन से आज तक उक्त भूमि पर काबिज है । वादी उनका नौकर था । वादी ने नौकर रहते हुए उसके मालिक के साथ विश्वासघात करके मिलीभगत से फर्जी प्रविष्टियां गिरदावरी की करवाई है । वादी ने यह वाद प्रस्तुत करके वादग्रस्त भूमि जो प्रतिवादीगण की खुदकाश्त की है उसके खुदकाश्त होने की स्थिति को चुनौती दी है और इस वाद में यह तय कराना चाहा है कि यह भूमि प्रतिवादीगण की खुदकाश्त नहीं थी । इस प्रकार का वादग्रस्त भूमि के खुदकाश्त होने बाबत् विवाद का विनिश्चयन अनन्य रूप से जागीर आयुक्त द्वारा ही किया जा सकता है और इस विवाद को समायत करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है । अतः वाद खारिज किया जावे ।

9– विचारण न्यायालय ने रेस्पो0/वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2000 के द्वारा रेस्पो0सं0 1/वादी का वाद इस आधार पर डिक्री किया कि–**"वादी खुदकाश्त का अभिधारी होने के कारण खातेदार हो गया है । संवत् 2012 के खसरा गिरदावरी में खुदकाश्त का उप–अभिधारी दर्ज है । खसरा गिरदावरी के साथ–साथ वादी द्वारा दिये गये लगान की रसीदें व स्वंय जागीरदार द्वारा भूमि काश्त हेतु दिये गये दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार द्वारा शिकमी काश्तकार घोषित किया जाना पर्याप्त साक्ष्य है ।"** विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरियों एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी/रेस्पो0 का वाद सरसरी तौर पर डिक्री किया गया है जिसमें दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात भी कायम नहीं की गई है । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में प्रावधित प्रावधानों अनुसार घोषणा के वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करने के उपरांत उभयपक्ष की

मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरांत ही उभयपक्ष की बहस सुनकर वाद डिक्री किया जाना प्रावधित है । **आदेश 20 नियम 5 –न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा–उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा ।** '' इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा सिविल व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2000 को पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दु की अनदेखी करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10– परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर'–जैसलमेर मु0जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2001 एवं सहायक कलेक्टर, बालोतरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण सहायक कलेक्टर, बालोतरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक विवाद्यक कायम करने के उपरांत उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद में दिन–प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत करते हुए पुनः यथाशीघ्र विधिसम्मत् निर्णय पारित करे ।

11– पक्षकारों को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे सहायक कलेक्टर, बालोतरा के न्यायालय में दिनांक 08.10.2025 को उपस्थित होकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

( रामदयाल मीणा )
सदस्य